F. No. 1/2/2020-NAB-II (Auto) (21949)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES
AEI SECTION
*****

Udyog Bhawan, New Delhi-110011
Dated the 07th November, 2023

To

All testing Agencies and /All EV Charger Manufacturers and /Selected entities under FAME India Scheme Phase-II.

Subject: Phased manufacturing Program (PMP) for xEV Charger Parts for eligibility under FAME India Scheme Phase-II - reg.

Sir/Madam,

In supersession of this Department's earlier communication No. 1/2/2020-NAB ll(Auto) (21949) dated 2nd November, 2021 on the subject cited above, the undersigned is directed to forward herewith the revised phased manufacturing program (PMP) to promote domestic manufacturing of EV Chargers, its assemblies/sub-assemblies and parts/sub parts for information.

2. This issues with approval of the Competent Authority.

Encl: As above

(Munna Prasad)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 23061106

Copy to:

1. Secretary, Ministry of Power (MoP)
2. Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG)
3. Director General, Bureau of Energy Efficiency (BEE)

Phased manufacturing program for EV Public Charging Stations

for eligibility under Fame -II scheme

Sr. No.	Item Description	Implementation date
1	Charger Enclosure / Panels /Gasket	A
2	Internal Wiring harness	A
3	IS/IEC 60309 connector	A
4	Software *I* Mobile Application for OCPP and CMS (Central server)	A
5	Auxiliary Power Supply, SMPS	E
6(a)	AC Energy Meter	B
6(b)	DC Energy Meter	E
7(a)	RFID	B
7(b)	HMI /Display	E
8	Input Switchgears like RCD, Fuses, SPD, MCB, MPCB, etc.	B
9(a)	Output Switchgear - AC Contactors	B
9(b)	Output Switchgears like DC Contactors, Relays, Voltage/current isolator, Fuses, etc.	E
10(a)	Charging Gun - Type 2	C
10(b)	Charging Guns like Bharat DC 001, CCS, CHAdeMO, etc.	D
11	Charger controllers: Electronic controllers for communication with EV, charge control, backend communication and other functions.	D
12	Power Electronics / Power modules (AC to DC Convertor)	E

The Charger Manufacturers shall comply with the following:

- Charger to comply PMP as per implementation dates above.
- The minimum of 50 (%) percentage of domestic value addition (DVA) in manufacturing of EV Charger with effective from the date of last implementation date i.e. 1st December 2024.
- % Domestic value addition = [(Ex-factory price of the product (Net of GST)-(minus) Import content i.e. sum of FOB value of all imported components or materials in the final product including import duties) / Ex-factory price of the product (Net of GST)] x 100.

The above claims shall be supported by audited financial statements & supporting documents, as certified by a Chartered Accountant and the same shall be verified by the testing agency of MHI.

Definitions:

Code	**Effective date of indigenization of parts**
A	w.e.f. 1st December 2021
B	w.e.f. 1st July 2022
C	w.e.f. 1st January 2023
D	w.e.f. 1st June 2024
E	w.e.f. 1st December 2024

Imported sources include direct as well as indirect imports.

Indigenous sources imply domestically manufactured/ assembled and tested.

****

फा. सं. 1/2/2020-NAB II(Auto) (21949)
भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
एईआई अनुभाग
*****

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांक: 07th नवंबर, 2023

सेवा में,

फ़्रेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत सभी परीक्षण एजेंसियां और/सभी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर विनिर्माता और/चयनित संस्थाएं।

विषय: फ़्रेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत पात्रता हेतु हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर पुर्ज़ों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 2 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 1/2/2020-NAB II(Auto) (21949) के अधिक्रमण में, अधोहस्ताक्षरी को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स, इसकी असेंबली/सब-असेंबली और पुर्ज़ों/कलपुर्ज़ों के घरेलू विनिर्माण संवर्धन हेतु पुनीरीक्षित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को एतदद्वारा जानकारी के लिए अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोक्त

अवर सचिव, भारत सरकार
(मुन्ना प्रसाद)

प्रति:

1. सचिव, विद्युत मंत्रालय
2. सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
3. महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

फ़ेम-II स्कीम के तहत पात्रता हेतु इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम

क्र.सं.	वस्तु का विवरण	कार्यान्वयन की तारीख
1	चार्जर अनुलग्नक/पैनल/गैस्केट	क
2	आंतरिक वायरिंग हार्नेस	क
3	आईएस/आईईएस 60309 कनेक्टर	क
4	सॉफ़्टवेयर / ओसीपीपी और सीएमएस के लिए मोबाइल अनुप्रयोग (केंद्रीय सर्वर)	क
5	सहायक बिजली आपूर्ति, एसएमपीएस	ङ
6(क)	एसी ऊर्जा मीटर	ख
6(ख)	डीसी ऊर्जा मीटर	ङ
7(क)	आरएफ़आईडी	ख
7(ख)	एचएमआई/डिस्प्ले	ङ
8	इनपुट स्विचगियर, जैसे-आरसीडी, फ्यूज, एसपीडी, एमसीबी, एमपीसीबी, आदि।	ख
9(क)	आउटपुट स्विचगियर - एसी कॉन्टैक्टर्स	ख
9(ख)	आउटपुट स्विचगियर जैसे डीसी कॉन्टैक्टर्स, रिले, वोल्टेज / करंट आइसोलेटर, फ्यूज, आदि।	ङ
10(क)	चार्जिंग गन - टाइप 2	ग
10(ख)	चार्जिंग गन, जैसे- भारत डीसी 001, सीसीएस, सीएचएडीएमओ, आदि.	घ
11	चार्जर नियंत्रक: इलेक्ट्रिक वाहन, चार्ज नियंत्रण, बैकएंड संचार और अन्य कार्यों के साथ संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक।	घ
12	पावर इलेक्ट्रॉनिक्स / पावर मॉड्यूल (एसी से डीसी कनवर्टर)	ङ

चार्जर विनिर्माता निम्नलिखित का अनुपालन करेंगे:

- चार्जर द्वारा उपर्युक्त कार्यान्वयन तिथियों के अनुसार पीएमपी अनुपालन।
- इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर विनिर्माण में न्यूनतम 50 (%) प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) अंतिम कार्यान्वयन तिथि यानी 1 दिसंबर, 2024 से प्रभावी होगा।
- % घरेलू मूल्यवर्धन = [(उत्पाद का एक्स-फैक्ट्री मूल्य (जीएसटी का निवल) - आयात सामग्री यानी आयात शुल्क सहित अंतिम उत्पाद में सभी आयातित घटकों या सामग्री के एफओबी मूल्य का योग) / उत्पाद का एक्स-फैक्ट्री मूल्य (निवल जीएसटी)] x 100

उपर्युक्त दावों के समर्थन में सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और सहायक दस्तावेज संलग्न होंगे भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा इनका सत्यापन किया जाएगा।

परिभाषा

कोड	**पुर्ज़ों के स्वदेशीकरण की प्रभावी तिथि**
क	1 दिसंबर, 2021 से प्रभावी
ख	1 जुलाई, 2022 से प्रभावी
ग	1 जनवरी, 2023 से प्रभावी
घ	1 जून, 2024 से प्रभावी
ङ	1 दिसंबर, 2024 से प्रभावी

आयातित स्रोतों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात शामिल हैं।
स्वदेशी स्रोतों में घरेलू रूप से निर्मित/असेम्बल किए गए और परीक्षण शामिल हैं।

****